

कार्यालय आयुक्त चिकित्सा शिक्षा
6वीं मंजिल, सतपुड़ा भवन, भोपाल (म.प्र.)

ई-मेल : dme12001@yahoo.com

दूरभाष क्रमांक 0755-2551719

वेबसाईट : www.medicaleducation.mp.gov.in

फैक्स : 0755-2578844

क्रमांक 6283-95/स्था/राज/2018
प्रति,

भोपाल दिनांक 26/12/2018

मुख्य कार्यपालन अधिकारी (अधिष्ठाता),
चिकित्सा महाविद्यालय,
भोपाल/इंदौर/ग्वालियर/जबलपुर/रीवा/सागर,
विदिशा/छिंदवाडा/रतलाम/खण्डवा/शिवपुरी/शहडोल/दतिया ।

विषय:- चिकित्सा शिक्षा विभाग के मध्यप्रदेश स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालयीन शैक्षणिक आदर्श सेवा नियम, 2018 में जारी अनुसूची-3 के सरल क्रमांक 1 में अंकित मुख्य कार्यपालन अधिकारी (अधिष्ठाता) की शैक्षणिक अर्हता में परिवर्तन के संबंध में ।

संदर्भ:- संचालक चिकित्सा शिक्षा के पत्र क्रमांक 322 दिनांक 07.02.2018, 283 दिनांक 5.02.2018, 280 दिनांक 05.02.2018, 321 दिनांक 07.02.2018, 307 दिनांक 07.02.2018, 281 दिनांक 05.02.2018, 282 दिनांक 05.02.2018, 363 दिनांक 16.02.2018, 561 दिनांक 14.03.2018, 337 दिनांक 12.02.2018, 333 दिनांक 09.02.2018, 334 दिनांक 09.02.2018, 331 दिनांक 08.02.2018

.....

विषयान्तर्गत चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा एफ 2-53/2017/1/55 दिनांक 12.01.2018 द्वारा मध्यप्रदेश स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालयीन शैक्षणिक आदर्श सेवा नियम, 2018 जारी किये गये हैं । जिनके साथ शैक्षणिक पदों में नियुक्ति के संबंध में अनुसूचियां जारी की गई हैं ।

समस्त चिकित्सा महाविद्यालयों के लिये शैक्षणिक संवर्ग हेतु जारी अनुसूचियों की अनुसूची 03 के सरल क्रमांक 01 में मुख्य कार्यपालन अधिकारी (अधिष्ठाता) के समक्ष अंकित शैक्षणिक अर्हता त्रुटिपूर्ण होने के कारण अंकित शैक्षणिक अर्हता को विलोपित करते हुये निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाता है :-

सरल क्रं.	अनुसूची 1 का सं. क्र	पद का नाम	न्यूनतम आयु सीमा	शैक्षणिक अर्हताएँ	अन्य अर्हताएँ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	1	मुख्य कार्यपालन अधिकारी (अधिष्ठाता)	40 वर्ष	1.प्रदेश स्थित राज्य शासन द्वारा स्वशासी घोषित चिकित्सा महाविद्यालय एवं सम्बद्ध चिकित्सालय में प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष के पद पर 3 वर्ष का कार्यानुभव ।	स्वशासी चि. महा. द्वारा निर्धारित अन्य अर्हतायें

↓ 3
आयुक्त चिकित्सा शिक्षा
मध्यप्रदेश

पृ0कमांक /स्था/राज/2018

भोपाल दिनांक /12/2018

प्रतिलिपि:—

1. अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, चिकित्सा शिक्षा विभाग, मंत्रालय ।
2. संभागायुक्त भोपाल/इंदौर/ग्वालियर/जबलपुर/रीवा/सागर/उज्जैन ।
3. निज सहायक, आयुक्त चिकित्सा शिक्षा की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।

आयुक्त चिकित्सा शिक्षा
मध्यप्रदेश